संख्या- 46/2017/1028/71-2-17-आर0एम0-25/2016

प्रेषक,

संजय कमार उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2017**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में संस्थान के अंतर्गत निर्माणाधीन एकेडमिक ब्लाक के तीनों बेसमेंट, ग्राउण्ड फ्लोर, फस्ट फ्लोर, सेकेण्ड फ्लोर में फर्नीचर एवं लेक्चर थियेटर्स में आवश्यक विडियो प्रोजेक्शन एवं प्रेजेन्टेशन सिस्टम हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1813/डा0रा0म0लो0आ0सं0/सि0/2016, दिनांक 19 अगस्त, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के अंतर्गत निर्माणाधीन एकेडमिक ब्लाक के तीनों बेसमेंट, ग्राउण्ड फ्लोर, फस्ट फ्लोर, सेकेण्ड फ्लोर में फर्नीचर एवं लेक्चर थियेटर्स में आवश्यक विडियो प्रोजेक्शन एवं प्रेजेन्टेशन सिस्टम हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित लागत रू0 1288.37 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 05,15,35,000/- (रूपया पांच करोड पन्द्रह लाख पैतीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान की होगी। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) संस्थान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद में किया जायेगा। संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
4) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
5) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा। संस्थान द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
6) प्रायोजनान्तर्गत सब फर्नीचर, वीडियो प्रोजेक्शन एण्ड प्रजेन्टेशन सिस्टम का प्राविधान कोटेशन/बाजार दर पर किया गया है, शासन द्वारा इनकी दरों को इन्डीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है, जिसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरे प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः संस्थान द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स के आधार पर किया जाय।
7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे कुर्सी क्षेत्रफल में वृद्धि, नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
8) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-3-2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा। प्रायोजना में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानो को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तदायित्व संस्थान/कार्यदायी संस्था का होगा।
9) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा। ई परियोजना पोर्टल पर परियोजना का माइलस्टोन एवं कार्यो के फोटोग्राफ अपलोड किया जाय सुनिश्चत किया जायेगा

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0 रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-04-डा0 राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ -24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/377/दस-2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजय कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या-46/2017/ 1028(1)/71-2-17-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) कोषाधिकारी, लखनऊ ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) वित्त अधिकारी, डा0 रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5) प्रबन्ध निदेशक/परियोजना पब्रन्धक, उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, लखनऊ।
6) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7) नोडल अधिकारी ई परियोजना चिकित्सा शिक्षा विभाग।
8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।